

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(अंगोच्छेदन या अंगो की पूरी स्थाई अंगघात और अंधापन की दशा में)

उपरो सरकार विकलांगजन विकास अनुभाग-3 सं० 519/85-3-2014-62/98 लखनऊ दिनांक- 03 सितम्बर, 2014 के अनुसार
कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बांदा

प्रमाण पत्र संख्या- 235

दिनांक- 10/06/2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री /श्रीमती/ कुमारी धनीराम प्रजापति

पुत्र/पत्नी/पुत्री राममिलन माता का नाम कल्ली

जन्म की तारीख 15/08/2002 आयु वर्ष 17 वर्ष

पुरुष/महिला रजिस्ट्रेशन नं० 191700040001378

Vikas



निवासी ग्राम चंचमपुर (खि०) डाकघर पौंगरी जिला- बांदा

राज्य उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी जिनकी फोटो ऊपर लगी हुई है, की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूँ। कि

(क) यह मामला

1- चलन संबंधी निःशक्तता

2- नेत्रहीनता का है

(कृपया जो लागू हो उस पर ठीक का निशान लगाए)

(ख) उनके मामले में निदान है।

B/E amputation pwn. 43rd
(R) Side

(ग) उन्हे मार्गदर्शक सिद्धान्तों (विनिर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार उनके (शरीर के अंग) के संबंध में.....

70% (अंक में) Seventy only प्रतिशत (शब्दों में) स्थाई शारीरिक क्षति/नेत्रहीनता है।

2- आवेदक के निवास के सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:- (Permanent)

| दस्तावेज की प्रकृति | जारी होने की तारीख | प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा |
|------------------------------|--------------------|---|
| आधार कार्ड 7152 6000 6843 | — | भारत सरकार |

हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

धनीराम प्रजापति

Vikas
(
अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत
हस्ताक्षर और मोहर
बांदा नं० चि० ७०, बांदा

प्रतिहस्ताक्षरित

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बांदा
बांदा